प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील सं. 1784 / 2023</u>

<u>(@ वि.अ.या. (सि) 5386 / 2023)</u>

<u>(@ डायरी सं 9620 / 2022)</u>

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार **....अपीलार्थी(गण)**

बनाम

विजय गुप्ता व अन्य **....प्रत्यर्थी(गण)**

<u>निर्णय</u>

<u>न्या., एम. आर. शाह</u>

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं. 9196/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.08.2018 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है जिसे

विरोधी प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर किया गया है तथा यह घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचीगण पश्चातवर्ती क्रेता थे, उन्हें अधिग्रहण / अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, हालांकि, उपरोक्त आपत्ति के बावजूद, उच्च न्यायालय ने पश्चातवर्ती क्रेताओं की प्रेरणा पर रिट याचिका पर विचार किया है और **सरकार (रा.रा.क्षे.**

दिल्ली) बनाम मानव धर्म न्यास व अन्य, (2017) 6 एससीसी 751 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताते हुए यह घोषणा की है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के आधार पर व्यपगत माना जाए। यह प्रस्तुत किया गया है कि **शिव कुमार व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य, (2019) 10 एससीसी 229** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए **मानव धर्म न्यास व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में दिया गया निर्णय एक उचित विधि नहीं है। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने **शिव कुमार व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में पाया व अभिनिर्धारित किया है तथा जिसका इस न्यायालय द्वारा **दिल्ली विकास प्राधिकरण** बनाम **गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य, (2022) 8 एससीसी 771** और **भूमि और भवन विभाग के वरिष्ठ सचिव के माध्यम से दिल्ली प्रशासन व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य, (2022) 7 एससीसी 470** के मामले में बाद में दिए गए निर्णयों में

भी अनुसरण किया गया है, एक पश्चातवर्ती क्रेता को अधिग्रहण और / या अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को पेश करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा जताते हुए, वर्तमान अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है।

3. विरोधी प्रत्यर्थीगण - मूल रिट याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं कि उन्होंने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद प्रश्नगत भूमि खरीदी थी। यहां तक कि, मूल रिट याचीगण की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता भी किसी वैध हक विलेख को इंगित करने की स्थिति में नहीं हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में किए गए प्रकथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रिट याचीगण ने सामान्य मुख्तारनामा, वसीयत, रसीद आदि के आधार पर अनुतोष का दावा किया है जो मूल रिट

याचीगण को ऐसा कोई भी मालिकाना हक प्रदान नहीं कर सकता है।

4. जैसा भी हो, तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण को पश्चातवर्ती क्रेता होना कहा जा सकता है। **शिव कुमार व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार, जिसका इस न्यायालय द्वारा **गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड व अन्य (पूर्वोक्त)** तथा **पवन कुमार व अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले के साथ साथ अन्य निर्णयों में भी अनुसरण किया गया है, किसी पश्चातवर्ती क्रेता को अधिग्रहण / अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। मामले को उस प्रकार से देखने पर, अधिग्रहण के व्यपगमन हेतु प्रार्थना करते हुए मूल रिट याचीगण द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर उच्च न्यायालय ने विचार कर के एक वास्तविक चूक की है। केवल उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा आदेश को अपास्त व दरकिनार किया जाना चाहिए।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त व दरकिनार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही का कोई व्यपगमन नहीं समझा जाएगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय तथा आदेश के माध्यम से माना और अभिनिर्धारित किया गया।

तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जुर्माने के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

.....न्या.

[एम. आर. शाह]

.....न्या.

[सी. टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

24 मार्च, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*